[2021] 1 एस. सी. आर 544

सर्वोच्च न्यायालय

सुदीप्ता चक्रवर्ती और अन्य.

बनाम

राणाघाट एस. डी. अस्पताल और अन्य

(सिविल अपील No.9404/2019)

15 फरवरी, 2021

[इंदु मल्होत्रा व अजय रस्तोगी**,** न्यायाधिपति**]**

अभ्यास एवं प्रक्रियाः बिना किसी कारण का आधार दिए आदेश के अंतिम कार्यात्मक भाग को घोषित करने की प्रथा-निर्विवाद रूप से, पीड़ित पक्षों के अधिकार पूर्वाग्रहपूर्ण हैं यदि उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के कानूनी उपाय का लाभ उठाने के लिए कारण उपलब्ध नहीं हैं, जहां कारणों की जांच की जा सकती है- यह वास्तव में गुण-दोष के आधार पर विवादित फैसले को चुनौती देने के लिए पीड़ित पक्ष के अधिकारों को विफल करने के बराबर है और यहां तक कि विजेता पक्ष भी मुकदमे की सफलता का फल प्राप्त करने में असमर्थ है- इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर दोहराया गया है, जिसमें निर्णय देने में देरी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है- तत्काल मामले में, राष्ट्रीय आयोग ने 26.04.2019 पर कार्यात्मक आदेश पारित किया था और इसके कारण सहित आदेश आठ महीने बाद ही पारित किया गया। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को मामले की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश ताकि यह प्रथा बंद हो और प्रभावी आदेश के साथ तर्कसंगत निर्णय पारित किया जाए - उन सभी मामलों में जहां अभी तक कारण नहीं बताए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे दो महीने की अवधि के भीतर मुकदमा करने वाले पक्षों को सकारात्मक रूप से उपलब्ध करा दिया जाए।

पंजाब राज्य एवं अन्य। बनाम जगदेव सिंह तलवंडी 1984 (1) एससीसी 596:[1984] 2 एससीआर 50; अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2001 (7) एससीसी 318:[2001]

1 पूरक। एससीआर 298; ज़हिरा हबीबुल्ला एम. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य। ए**.** आई**.** आर**. 2004** एस**.** सी**. 3467**; मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य **2008 (7)** एससीसी **96:[2008] 2** एससीआर **80**;अजय सिंह और अन्न। आदि. वी.छत्तीसगढ़ राज्य & एन**.** आर**.** एयर **201** एससी **310:[2017] 1** एससीआर **286**; बालाजी बलिराम मुपाडे और अन्न बनाम महाराष्ट्र राज्य & अन्य । (सिविल अपील सं**. 3564/2020 29.10.2020** पर घोषित**);** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v.ज़ैक्सू ज़ी ए व अन्य. (सिविल अपील संख्या **4022/ 2020, 11.12.2020** घोषित की गई।**);** एस. जे. वी. एन. एल. बनाम मेस्सेर्स. सी. सी. सी. एच. आई. एम. जेवी और अन्य (सिविल

अपील संख्या **494/ 2021, 12.02.2021** को सुनाया गया ।

आधार लिया गया।

<u>न्यायिक विनिश्चय संदर्भ</u>

[1984] 2 एससीआर **50**

[2001] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 298** पर निर्भर

एआईआर **2004** एससी **3467**

[2008] 2 एससीआर **80**

[2017] 1 एससीआर **286**

<u>सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं 9404 /2019.</u>

उपभोक्ता मामला संख्या 671/2019 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 26.04.2019 के निर्णय और आदेश से।

अनीश आर. शाह, टी. वी. जॉर्ज, सौमित्र जी. चौधरी, चंचलकुमार गंगुली, अधिवक्ता पक्षकारों के लिए उपस्थित ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

<u>आदेश</u>

वर्तमान मामले में, सी. ए. No.9404/ 2019 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में "राष्ट्रीय आयोग") द्वारा 20.12.2019 पर तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष सी. ए. No.6476 / 2020 के रूप में एक नई सिविल अपील दायर की गई थी, जिसे दिनांक 06.3.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

इस न्यायालय ने दिनांक 08.01.2020 के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के पंजीयक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों की संख्या जिसमें तर्कपूर्ण निर्णय पारित नहीं किए गए थे, भले ही न्यायालय में कार्यात्मक आदेश सुनाया गया था। 27.7.2020 की रिपोर्ट द्वारा, हमें सूचित किया गया है कि 20.12.2019 पर ऐसे 85 मामले थे जिनमें कार्यात्मक आदेश सुनाया गया था, लेकिन अब तक तर्कपूर्ण निर्णय नहीं दिए गए थे।

आयोग के पंजीयक द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया तथ्य, किसी भी तरह से, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आदेश के कार्यात्मक भाग की तारीख और कारणों के बीच, या अंतराल अवधि, जो देखा गया है, आरक्षित आदेशों की सम घोषणा के लिए अधिकतम समय अवधि उससे भी कहीं अधिक हो।पंजाब और अन्य राज्यों में। बनाम जगदेव सिंह तलवंडी 1984 (1) एस. सी. सी. 596, में पैरा 30, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने 1983 में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का ध्यान उन गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जो उच्च न्यायालयों/आयोगों सहित न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के कारण उत्पन्न हुई थीं, जो बिना किसी कारण के आदेशों के अंतिम कार्यात्मक भाग को घोषित करने की थी। इस पर बाद में इस न्यायालय द्वारा अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2001 (7) एस. सी. सी. 318 में फिर से चर्चा की गई।

निर्विवाद रूप से, पीड़ित पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है यदि उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के कानूनी उपाय का लाभ उठाने के लिए कारण उपलब्ध नहीं हैं, जहां कारणों की जांच की जा सकती है। यह वास्तव में गुण-दोष के आधार पर विवादित निर्णय को चुनौती देने के लिए पीड़ित पक्ष के अधिकारों को ख़त्म करने के बराबर है और यहां तक कि विजेता पक्ष भी मुकदमे की सफलता का फल प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।

उपरोक्त सिद्धांत को जोरदार तरीके से ज़हिरा हबीबुल्ला एम. शेख व अन्यबनाम गुजरात राज्य और अन्य। [ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3467 पैरा 80-82] ; मंगत राम

बनाम हरियाणा राज्य [2008 (7) एस. सी. सी. 96 पैरा 5-10]; अजय सिंह और अन्न। आदि। बनाम छत्तीसगढ राज्य और अन्न। [ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 310] सहित कई मौकों पर इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया है। और हाल ही में बालाजी बलिराम मुपाडे और अन्न में। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (सिविल अपील सं. 3564 / 2020, 29.10.2020 को पारित की गई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर। बनाम जैक्सू झी और ओआरएस। (सिविल अपील संख्या 4022/ 2020, 11.12.2020 ko घोषित) और एसजेवीएनएल बनाम मेस्सर्स सी.सी.सी. एच.आई.एम. जेवी व अन्य (सिविल अपील संख्या 494/ 2021, 12.02.2021 को पारित) जिसमें निर्णय देने में देरी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है और जब कार्यात्मक भाग जल्दी उपलब्ध कराया जाता है और कारण बहुत बाद में सामने आते हैं या अनिश्चित काल के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं।

तत्काल मामले में, ऑपरेटिव आदेश 26.04.2019 पर घोषित किया गया था, और बताए गए कारणों में, आठ महीने की बहुत बड़ी अंतराल अवधि है।

इस आदेश को मामले को देखने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इस प्रथा को बंद किया जा सके और कार्यात्मक आदेश के साथ तर्कपूर्ण निर्णय पारित किया जा सके। हम चाहते हैं कि यह ध्यान रखें कि उन सभी मामलों में जहां कारण अभी तक नहीं दिए गए हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे दो महीने की अवधि के भीतर मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को सकारात्मक रूप से उपलब्ध कराए जाएं।

इन टिप्पणियों के साथ, अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील का निस्तारण किया गया।